

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 852]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2019 — अग्रहायण 26, शक 1941

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

क्र. एफ 4-14/2017/29-1.— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 सहपठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क. का.आ. 4341 (अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

- खण्ड 2 में, उप-खण्ड (ग) में, प्रविष्टि (चार) में, अंक एवं शब्द “250 विंटल” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “150 विंटल” प्रतिस्थापित किया जाये।
- अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

स.क्र.	अनुसूचित वस्तु	नगर की श्रेणी	व्यापारी (विंटल)	कमीशन अभिकर्ता (विंटल)	प्रसंस्करणकर्ता
“5.	प्याज	समस्त	250	50"	

- यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 4-14/2017/29-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 6th December 2019

NOTIFICATION

No. F 4-14/2017/29-1.— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and vide Order No.S.O.4341(E), dated 3rd December, 2019 issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 2009, namely:-

AMENDMENT

In the said order,-

1. In clause 2, in sub-clause (c), in entry (iv), for the figure and words "250 quintal", the figure and words "150 quintal" shall be substituted.
2. In Schedule-II, for serial number 5 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

S. No.	Scheduled commodity	Category of city	Dealer (Qtls.)	Commission agent (Qtls.)	Processor
"5.	Onion	All	250	50"	

3. This amendment shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.